

**आदेश-पत्रक**  
**कार्यालय :- अंचल अधिकारी, रमकण्डा।**

जिला-गढ़वा

अनुमण्डल-रंका




अंचल-रमकण्डा

वाद सं०-

03/वर्ष - 2022-23

वाद का प्रकार-

E-Revenue Court

आदेश की क्र० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जनिपुस्तक
1	2	3
7-03-2022	<p>आवेदक सुरेश यादव, पिता- रामचन्द्र यादव, ग्राम- पुन्दागा, पोस्ट- उदयपुर, थाना- रमकण्डा, जिला- गढ़वा के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि ग्राम- पुन्दागा के खाता संख्या- 46 प्लॉट संख्या- 163 रकबा- 0.46 एकड़ भूमि में से 0.11 एकड़ भूमि पर दाखिल-खारिज रोकने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन की जाँच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, रमकण्डा।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक सुरेश यादव, पिता- रामचन्द्र यादव ग्राम- पुन्दागा के द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या- 51/2021-2022 का जाँच किया तो पाया कि विक्रंता सिताराम यादव पिता- छटु यादव ने अपने हिस्से के अनुसार भूमि विक्री की है। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया कि उक्त भूमि पर क्लेता का दाखल-कबला कायम है। जिसके आलोक में नामान्तरण वाद संख्या- 51/2021-2022 स्वीकृत कर दी गई है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर RCMS पोर्टल पर चल रहे वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: left;"> अंचल अधिकारी, रमकण्डा।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, रमकण्डा।</p>	